

## आवृत्ति,

### राज्य, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- प्राविप/बीएड/सम्बद्धता/2022/0185

लखनऊ, दिनांक: 20/09/2022

### (आवृत्ति पर)

अद्वितीय अध्यक्ष राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय आयोगित और इण्डियन न्यू दिल्ली द्वारा सैद्धिक वर्ष 2022-23 हेतु दिल्ली राज्य राजकीय शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यपालिका से सम्बद्धता समिति को बैठक संभव हुई। बैठक में सचिवों द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संश्लेषण संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पर्याप्तकम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सद्यो पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विशेष निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पर्याप्तकम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4807-V M Y COLLEGE OF PHARMACY, MAU

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईएसीटीआई/पीसीआई द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईएसीटीआई/पीसीआई/आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकर 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2010, संशोधन विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय राजकीय पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परामेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आशुभाषाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्मित किए जाने वाले शासनादेशों का पालन होगा, और उपर्युक्त कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। जैसा निर्धारण समिति द्वारा प्रति वर्ष 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पीस की नवीनतम टरे समुह होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिविधानों-अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार एवं निर्देशक, अदालतों एवं निर्देशकों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का ए०आईएसीटीआई/पीसीआई/आई० से अनुमोदन विरत किया जाता है तो इस संस्था में समस्त छात्राचारिक सभ्यता का होगा और विद्यार्थी रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सभ्यता उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई तरह कागद किया जाता है तथा उत्तर काद के संस्था में या आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी अवेध निर्मित किया जाता है तो संस्था प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित आयोगित छात्र होने के पूर्व ए०आईएसीटीआई/पीसीआई/आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यपालिका को उपर्युक्त करने होगा अन्यथा नई प्रदेश की (आयोगित) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर एसीसी प्रवेश अनुमोद प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्मित नवीनतम आवेदना विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायु किया जाने वाला सुल्क, आवाकस सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविशुल हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिण रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संशुधित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधीलेख, भूमि-भरण, कर्मीकर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संशुध की सम्बद्धता सम्पन्न किये जाने की कार्यवाही करेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्वलेय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०एच०एच०के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्ती का अनुशासन न किये जाने अथवा सर्ती का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में परिषदनुसार अनुशासनवाचक कार्यवाही की जायेगी।

*(हस्ताक्षर)*  
(एफ०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०एच०एच०के)

सचिव

पुस्तक: प्राविषापरिषद सम्बद्धता/2022/0766-0924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिष्ठि-

एधनासर्पनिदेशक, V M Y COLLEGE OF PHARMACY, MAU

*(हस्ताक्षर)*  
(एफ०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०एच०एच०के)

सचिव

## कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राखनऊ।

संख्या- प्राविप/परिषद् सम्बद्धता/2021/3537

राखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

### कार्यालय श्राप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4867-V.M.I. COLLEGE OF PHARMACY, MAU

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, रेगुलेशन विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमों, अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा

परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (का)अनधिकृत के माध्यम से अथवा संस्था स्तर से प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत न्यूनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साध-सम्पत्, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-परिक्षण हेतु उपर्युक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के साक्ष्य में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रसारित संशोधित पाठ्यक्रम को पढाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेखा, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साध-सम्पत् ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

ए०सं०- प्राविद्य/परिषद् सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक V.M.I. COLLEGE OF PHARMACY, MAU



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

**कार्यालय हाथ:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25.07.2023 एवं दिनांक 02.08.2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तिये गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में तिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4867-V M Y COLLEGE OF PHARMACY, MAU**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईएसी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 31/116-3099/02022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं की जीव के विरुद्ध मासिक न्यायालय में पंजीक रिट प्राविधिक संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निहित की जाती है।
- ✓ सत्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्था में प्रयोग संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद पत्र 1902 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1992, विनियमनकारी-2000, सॉल्वर विनियमनकारी-2018 तथा समय-समय पर निर्मित कानून/देशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले कानून/देशों का पालन करेगी और अनुसूचित जाति/जाती किये जाने आवश्यक होगा। जीव निर्धारक समिति द्वारा पट्टि सत्र 2023-24 हेतु प्राविधिक एवं पुनर्निर्धारण किये जाते हैं, जो प्राविधिक की परीक्षाओं पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समस्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित कानून/देशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ शासन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि/विनियम/अधिनियम/कानून/देशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा (0100), संस्था प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कल्पित एवं निर्मित, विनियम, अदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिये आवश्यक है।

- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद्/राज्यीय कार्यालय और हरिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्था में सम्बन्ध उपलब्धता संस्था का होगा और शिक्षा अथवा किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था को उत्तरदायी होना। प्राथमिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रयोग परिषद् परिषद्, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई काद उत्तर किया जाता है तो उत्तर काद के संस्था में था, उपस्थान द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अतिरिक्त किया जाता है तो सम्बन्ध प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रयोग परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अखिल भारतीय प्रयोग परिषद् से अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद्/राज्यीय कार्यालय और हरिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोग हेतु समान-समय पर निरिक्त नवीनतम अनुसूची नियमों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट एवं प्राथमिक शिक्षा के सुमार्गक पेटेंट पर संस्था की सम्बन्ध सुचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, स्टाफ, साधन-सम्पत्ति, उपकरण, प्राय शिक्षा करने वाला सुन्ध, साधनसम्पत्ति आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधनसम्पत्ति उपलब्ध कराने के साथ वैदिकी रोकरने के सम्बन्ध में सम्बन्ध साधनसम्पत्ति सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित परियोजना को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्ध उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के अन्तर्गत में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था पर उस की सम्बन्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितियाँ) और उपलब्धता, संस्थाओं का सम्बन्ध किया जाता है। दिनांक 2020 के प्रावधानानुसार परिषद् की भाग पर अपने कार्यवाही, भवनों और फर्नीचर को परिषद् की परीक्षा के सम्बन्ध के लिए परिषद् के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्ति एमआईटी/पीएचडी/पीएचडी/आईआईटी/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बन्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूची-सम्बन्ध कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव

पुं सं- प्राशिय/परिषद् सम्बन्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठान:-

प्रधानाचार्य/निदेशक V M Y COLLEGE OF PHARMACY, MAU

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव